प्रदीप चन्द्र परिजा और अन्य

बनाम

वी0 प्रमोद चंद्र पटनायक और अन्य

4 दिसम्बर 2001

[मुख्य न्यायमूर्ति एस 0 पी0 भरूचा, न्यामूर्तिगण सैयद शाह मोहम्मद क़ादरी, उमेश सी0 बनर्जी, एस 0 एन 0 वरियावा और शिवराज वी0 पाटिल]

भारत का संविधान, 1950/उच्चतम न्यायालय नियम 1960

सी अनुच्छेद 145(2) और (3)/आदेश VII, नियम (1) और (2)–सुप्रीम कोर्ट– बेंचों का गठन और छोटी बेंच द्वारा मामलों को बड़ी बेंच को रेफर करना– दो जजों की बेंच फैसले से सहमत नहीं पहले की तीन जजों की बेंच और मामले को पांच जजों की बेंच के पास भेजना न्यायिक अनुशासन और औचित्य की मांग करता है कि दो जजों की बेंच को तीन जजों की बेंच के फैसले का पालन करना चाहिए– लेकिन, अगर दो जजों की बेंच निष्कर्ष निकालती है तीन न्यायाधीशों का पूर्व निर्णय इतना गलत है कि किसी भी परिस्थिति में इसका पालन नहीं किया जा सकता है, इसके लिए उचित रास्ता यह है कि मामले को तीन न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा जाए, जिसमें यह बताया जाए कि ऐसा क्यों नहीं किया जा सका। पहले के फैसले से सहमत– अगर, तो तीन जजों की बेंच भी इस नतीजे पर पहुंचती है कि तीन जजों की बेंच का पहले का फैसला गलत है। पांच न्यायाधीशों की पीठ का संदर्भ उचित है – एकमात्र स्थिति जब दो न्यायाधीशों की पीठ किसी मामले को सीधे संविधान पीठ को भेज सकती है, जब अनुच्छेद 145 के खंड (3) के प्रावधान आकर्षित होते हैं – वर्तमान मामले में, दो न्यायाधीशों की पीठ ने, इस प्रकार, तीन–न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय की शुद्धता पर संदेह किया है – एक न्यायिक आदेश द्वारा दो न्यायाधीशों एफ की पीठ के समक्ष मामले को पांच न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखने का आदेश दिया गया था – मुख्य न्यायाधीश, जैसा कि वाद सूचियों के मास्टर को केवल परिणामी प्रशासनिक निर्देश जारी करने की आवश्यकता थी – मामलों को केवल तीन न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा जा सकता था – तदनुसार, उन्हें तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा जाएगा – न्यायिक अनुशासन – न्यायिक औचित्य डी

नित्यानंद कर और अन्य. आदि बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य, [1990] सप्ल। 2 एससीआर 644,

संदर्भित।

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम मुंबई श्रमिक संघ और अन्य, [2001] 4 एससीसी 448 और न्यायिक जवाबदेही पर उप-समिति बनाम एच यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य, [1992] 4 एससीसी 97, पर भरोसा किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1993 की सिविल अपील संख्या 791। ए

उड़ीसा प्रशासनिक न्यायाधिकरण, भुवनेश्वर के निर्णय एवं आदेश दिनांक 23.4.91 से टी.ए. 1986 की संख्या 402.

साथ

डब्ल्यू.पी. (सी) 1992 का क्रमांक 611।

Soli J. Sorabjee, Attorney General, Sudhir Chandra Parmanand Gaur, Dipankar P. Gupta, Suchit Mohanty, Abhisth Kumar, Abhijit Sengupta, Vinoo Bhagat, Achintya Dvivedi, Ms. Manish Singhvi, Ms. Kirti Mishra, Raj Kumar Mehta, Ms. M. Sarada and Abhishek Awasti for the appearing partes.

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया:

दो विद्वान न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 24 अक्टूबर, 1996 को पारित एक आदेश के कारण ये मामले पांच न्यायाधीशों की इस पीठ के समक्ष रखे गए। दो विद्वान न्यायाधीशों ने उस आदेश में कहा कि उन्हें नित्यानंद कर और अन्य मामले में इस न्यायालय के फैसले (तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया) के माध्यम से लिया गया था। आदि बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य.. [1991] पूरक। 2 एससीआर 644 और वह, "अत्यंत सम्मान के साथ", वे "तर्क और उसमें पहुंचे निष्कर्षों से सहमत नहीं थे"। विद्वान न्यायाधीशों ने चार कारण बताए कि क्यों वे उक्त निर्णय से असहमत थे। फिर उन्होंने निर्देश दिया कि इन मामलों को "इस न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ के समक्ष रखा जाए। रजिस्ट्री को इस मामले में उचित आदेश के लिए कागजात माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखना होगा।"

और

सवाल यह है कि क्या इस न्यायालय के दो विद्वान न्यायाधीश इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों के फैसले से असहमत हो सकते हैं और क्या इस कारण से, वे अपने समक्ष मामले को सीधे पांच न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज सकते हैं?

हम शुरुआत में बता सकते हैं कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम मुंबई श्रमिक संघ और

अन्य, [2001] 4 एससीसी 448 में, पांच न्यायाधीशों की एक पीठ ने कुछ इसी तरह के प्रश्न पर विचार किया था। उस मामले में दो विद्वान न्यायाधीशों ने पहले के संविधान पीठ के फैसले में एक निश्चित प्रावधान के दायरे की शुद्धता पर संदेह किया और तदनुसार, उनके समक्ष मामले को सीधे संविधान पीठ को भेज दिया। तब संविधान पीठ ने एक दाढ़ी ने इस मामले में विचार किया कि एक संविधान पीठ का निर्णय दो विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ को बांधता है और न्यायिक अनुशासन उन्हें इसका पालन करने के लिए बाध्य करता है, भले ही इसकी शुद्धता के बारे में उनके संदेह हों। ज़्यादा से ज़्यादा, दो विद्वान न्यायाधीशों की पीठ यह आदेश दे सकती थी कि मामले की सुनवाई तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जाए।

अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने हमारा ध्यान भारत के संविधान के अनुच्छेद 145, खंड (2) और (3) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया। खंड (2) किसी भी उद्देश्य के लिए बैठने के लिए इस न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या तय करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। खंड (3) कहता है कि संविधान की व्याख्या के संबंध में कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न से जुड़े किसी मामले का निर्णय करने या अनुच्छेद 143 के तहत किसी संदर्भ की सुनवाई के उद्देश्य से बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या पांच होगी। विद्वान वकील ने हमारा ध्यान सर्वोच्च न्यायालय नियम, 1966 के आदेश VII, नियम (1) और (2) की ओर आकर्षित किया। नियम (1) कहता है कि प्रत्येक कारण, अपील या मामले की सुनवाई कम से कम दो न्यायाधीशों वाली पीठ द्वारा की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित. खंड (2) कहता है कि जहां, किसी मामले, अपील या कार्यवाही की सुनवाई के दौरान, एक पीठ यह समझती है कि मामले को एक बड़ी पीठ द्वारा निपटाया जाना चाहिए, वह मामले को मुख्य न्यायाधीश को संदर्भित करेगी, जो उसके बाद . इसकी सुनवाई के लिए ऐसी बेंच का गठन करें. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि इस मामले में संदर्भ देने वाले दो विद्वान न्यायाधीशों की पीठ ने नित्यानंद कर के मामले में तीन विद्वान न्यायाधीशों के फैसले को खारिज नहीं किया, जैसा कि वे संविधान पीठ के पहले के फैसले के आधार पर कर सकते थे। (जिसका, संयोग से, रेफरल आदेश में भी उल्लेख नहीं किया गया है), लेकिन इसे मुख्य न्यायाधीश को संदर्भित करने का विकल्प चुना था जिन्होंने एक संविधान पीठ का गठन किया था। विद्वान वकील की दलील में, ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जहाँ दो विद्वान न्यायाधीशों की पीठ के लिए सीधे 2 संविधान पीठ को संदर्भ देना स्वीकार्य होगा; उदाहरण के लिए, जब एक संविधान पीठ के दो फैसले एक–दूसरे के साथ विरोधाभास में थे या तीन न्यायाधीशों वाली पीठ का फैसला गलत था, तो विद्वान वकील की प्रस्तुति में, वर्तमान एक ऐसा मामला था जिसने सीधे संविधान पीठ को संदर्भित करने को उचित ठहराया था। एफ

विद्वान अटॉर्नी जनरल ने प्रस्तुत किया कि न्यायालय की संविधान पीठ का निर्णय छोटी पीठों पर बाध्यकारी था और तीन विद्वान न्यायाधीशों का निर्णय दो विद्वान न्यायाधीशों की पीठों पर बाध्यकारी था – एक ऐसा प्रस्ताव जिस पर अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने विवाद नहीं किया। विद्वान अटॉर्नी जनरल ने हमारा ध्यान उप–संविधान पीठ के फैसले की ओर आकर्षित किया। न्यायिक जवाबदेही समिति बनाम भारत संघ और अन्य, [1992] 4 एससीसी 97 जहां यह कहा गया है कि "इस न्यायालय की कोई भी समन्वय पीठ इस पर टिप्पणी भी नहीं कर सकती है, प्रयोग किए गए विवेक या निर्णय पर निर्णय देना तो दूर की बात है किसी अन्य समन्वय पीठ के समक्ष किसी कारण या मामले में प्रस्तुत किया गया"। विद्वान अटॉर्नी जनरल ने प्रस्तुत किया कि दो विद्वान न्यायाधीशों की पीठ के लिए उचित रास्ता अपनाया जाना चाहिए, अगर यह इतनी दृढ़ता से महसूस होता है कि नित्यानंद कर में निर्णय गलत था, तो तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ का संदर्भ देना था। तीन विद्वान न्यायाधीशों की वह पीठ, यदि वह भी नित्यानंद कर के बारे में यही विचार रखती, तो मामले को पाँच विद्वान न्यायाधीशों की पीठ को भेज सकती थी।

वर्तमान मामले में, दो विद्वान न्यायाधीशों की पीठ ने, तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय की शुद्धता पर संदेह किया है। इसलिए, उन्होंने मामले को सीधे पांच न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया है, हमारे विचार में, न्यायिक अनुशासन और औचित्य की मांग है कि दो विद्वान न्यायाधीशों की पीठ को तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का पालन करना चाहिए। लेकिन अगर दो विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ यह निष्कर्ष निकालती है कि तीन विद्वान न्यायाधीशों का पिछला फैसला इतना गलत है कि किसी भी परिस्थिति में इसका पालन नहीं किया जा सकता है, तो उसके लिए उचित रास्ता यह है कि वह मामले को तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दे। न्यायाधीश, जैसा कि यहां किया गया है, वे कारण बता रहे हैं कि यह पहले के फैसले से सहमत क्यों नहीं हो सका। यदि, फिर तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ भी इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ का पिछला निर्णय गलत है, तो पाँच विद्वान न्यायाधीशों की पीठ का संदर्भ उचित है। और हमारे लिए अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा बताए गए काल्पनिक मामलों में जाना आवश्यक नहीं है, जहां दो विद्वान न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सीधे संविधान पीठ को संदर्भित करना उचित होगा। यह कहना पर्याप्त है कि, फिलहाल, हमें ऐसी परिकल्पना की सत्यता को स्वीकार करना बहुत कठिन लगता है। एकमात्र स्थिति जब दो न्यायाधीशों की पीठ किसी मामले को सीधे संविधान पीठ को भेज सकती है, वह तब होती है जब अनुच्छेद 145 के खंड (3) के प्रावधान लागू होते हैं।

हमने वर्तमान मामले में रेफरल आदेश का प्रासंगिक भाग उद्धृत किया है। न्यायिक आदेश द्वारा दो विद्वान न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष मामले को पाँच विद्वान न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखने का आदेश दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश को, वाद सूचियों के स्वामी के रूप में, केवल परिणामी आदेश जारी करने की आवश्यकता थी

प्रशासनिक निर्देश.

परिणामस्वरूप, हमारा विचार है कि इन मामलों को केवल तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ को ही भेजा जा सकता था। तदनुसार, हम आदेश देते हैं कि उन्हें तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा जाएगा। समय की चूक को ध्यान में रखते हुए, उन्हें जनवरी, 2002 में रखा जाएगा।

आर.पी.

मामला अभी भी लंबित है.